BCCI BULLETIN

Vol. 52 | DECEMBER 2021 | No. 8

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यवसाय एवं उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं पर विचार के लिए आहुत बैठक में विस्तृत सुझाव समर्पित

व्यवसायियों की समस्याओं की सुनते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, विभागीय अधिकारीगण एवं चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

दिनांक 17 दिसम्बर 2021 व्यवसाय एवं उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं पर विचार के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक पुराना सचिवालय के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सभागार में हुई जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से राज्य के उद्योग, व्यापार, आईटी एवं जीएसटी से संबंधित विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने चैम्बर द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं को धैर्यपूर्वक सुनने एवं उसके निदान के लिए विभाग की ओर से पहल करने का आश्वासन देने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं वाणिज्य-कर विभग के वरीय पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री एस० के० पटवारी, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री राजीव अग्रवाल, श्री आलोक पोद्दार, श्री सुनील सराफ, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं श्री मुकुन्द राठी सम्मिलित थे।

चैम्बर द्वारा जिन बिन्दुओं पर माननीय उप-मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया गया उनमें प्रमुख हैं :-

- उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य के उद्यमियों को परेशानी हो रही है एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है।
- औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है। **उक्त परिपेक्ष में चैम्बर का सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस-पास हो।**
- राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जानी चाहिए जिससे औद्योगिक भूमि उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सके।
- बियाडा द्वारा उद्यमियों को लीज पर दिए गए भूमि को फ्री होल्ड किया जाए।
- राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होने वाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- **चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किया जाए।**
- हमारे राज्य में वर्त्तमान में लागू विद्युत दरों को पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल के समतुल्य किया जाए अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप

व्यवसायियों एवं उद्यमियों की समस्याओं को माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के समक्ष प्रस्तुत करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण एवं अन्य।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

इस बुलेटिन का अंक आपके हाथ में आते-आते आप नववर्ष 2022 में प्रवेश कर गये होंगे। नव वर्ष आपके, आपके परिजनों एवं आपके व्यवसाय तथा उद्योग के लिए प्रगति, समृद्धि लाये, यही मेरी शुभकामना है।

इस वर्ष भी कोरोना के चलते व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियाँ कुछ धीमी थी, परन्तु धीरे-धीरे रास्ते पर आ रही है, फिर भी कोरोना के नये वेरियन्ट **''ओमीक्रोन''** के आ जाने से पुनः लोग सशंकित हो रहे हैं। वैसे 15 वर्ष के उम्र वालों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है साथ ही गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों के लिए 10 जनवरी, 2021 से टीके का बूस्टर डोज दिया जायेगा जिससे इस गंभीर संक्रमण से बचाव हो सकेगा।

दिसम्बर माह में चैम्बर दो सदस्यों के निधन की खबर से मर्माहत रहा। 13 दिसम्बर, 2021 को चैम्बर के लाइब्रेरी एवं बुलेटीन उप समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद जी का निधन दिल्ली में हो गया। इसके अतिरिक्त 17 दिसम्बर 2021 को चैम्बर कार्यकारिणी के सदस्य श्री अग्रवाल यशपाल जी का निधन हो गया। दोनों सदस्यों के निधन पर चैम्बर द्वारा भेजे गये शोक प्रस्ताव में दिवंगतों की आत्मा को चिरस्थाई शांति एवं उनके परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गयी है।

दोनों ही सदस्यों ने चैम्बर के हित में जो कार्य किये हैं, उन्हें चैम्बर सदैव याद रखेगा और दोनों चैम्बर सदस्यों के हृदय में सदैव बने रहेंगे।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को उद्योग एवं व्यवसाय जगत से जुड़ी समस्याओं पर विचार हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में शामिल होकर राज्य के उद्योग, व्यापार, आईटी एवं जीएसटी से संबंधित ज्ञापन समर्पित किया गया। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री एस० के० पटवारी, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री राजीव अग्रवाल, श्री आलोक पोद्दार, श्री सुनील सराफ, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं श्री मुकुन्द राठी सम्मिलित थे।

माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने चैम्बर द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को धैर्य पूर्वक सुना एवं उसके निदान हेतु हर संभव पहल का आश्वासन दिया।

प्लास्टिक और थर्मोकोल पर बिहार सरकार ने 15 दिसम्बर, 2021 से प्रतिबन्ध लगा दिया था। केन्द्र सरकार एक जुलाई, 2022 से प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। चैम्बर ने व्यवसायियों की समय सीमा में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि समय सीमा में बढ़ोत्तरी की जाय ताकि व्यवसायियों को व्यवस्थित होने में थोड़ा समय मिल जाये। **हमें खुशी है कि बिहार सरकार ने प्रतिबन्ध की समय सीमा को बढ़ाकर 1 जुलाई, 2022 कर दिया है। राज्य सरकार को इस हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद।**

दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन की अध्यक्षता में सहरसा में नवगठित कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्थापना समारोह में विशेष आमंत्रण पर सम्मिलित हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय भी शामिल थे।** समारोह का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने किया। माननीय कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री डॉ० आलोक रंजन जी भी इस समारोह के विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित थे।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर प्रांगण में **निःशुल्क स्पेशलिटी चेकअप कैम्प का आयोजन** मेदान्ता अस्पताल एवं अन्य चिकित्सकों के सहयोग से लगाया गया। **इस चेकअप कैम्प का उद्घाटन माननीय सांसद-सह-पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी ने किया। मेडिकल कैम्प में करीब 200 लोगों का चेकअप किया गया एवं आवश्यक परामर्श दिया गया। इस कैम्प से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।**

GST Grievance Redressal Committee for Bihar बनी है। इस कमीटी की बैठक नहीं हो रही थी। इस बात को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को हुई बैठक में चैम्बर द्वारा उठाया गया था।

उक्त कमीटी की वर्चुअल मीटींग दिनांक 30.12.2021 को हुई जिसमें चैम्बर की ओर से ज्ञापन समर्पित किया गया। इस वर्चुअल मीटिंग में चैम्बर सहित कई व्यावसायिक एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अगले साल के बिजली की दर के निर्धारण के निर्णय लेने हेतु बिहार विद्युत नियामक आयोग (BERC) द्वारा जन सुनवाई 13 जनवरी, 2022 से शुरू होगी। **सभी उद्योग संगठनों एवं उद्यमी व्यवसायी बन्धुओं से अपील है कि अपने क्षेत्र में सुनवाई में अवश्य भाग लें एवं अपना पक्ष सही रूप में, मजबूती के साथ रखें ताकि विद्युत दरों में वृद्धि न हो सके।**

नववर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाओं सहित आपसे निवेदन है कि कोरोना से बचें और कोरोना से बचाव के माप दण्डों का पूर्ण पालन करें।

''जान है तो जहान है''।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

- में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि उद्योगों को बचाया जा सके।
- पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए।
- बिहार में मेडिकल टूरीज्म का समुचित विकास हो।
- **खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पाद के निर्यात हेतु एक सहयोगी संस्था का गठन किया जाए।**
- **हल्दिया और इलाहाबाद के बीच कार्गो की आवाजाही पटना के रास्ते गंगा नदी में जल मार्ग में सुधार करके शुरू कराया जाना चाहिए।**
- केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को तय 33.88 करोड़ लीटर इथेनाल के कोटा को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ लीटर किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य में अधिकाधिक इथेनाल की ईकाईयाँ लग सके।
- **बिहार में भी फूड प्रोसेसिंग टेस्टींग मशीन की व्यवस्था की जानी चाहिए।**
- GST की धारा 61 के तहत रिटर्न के लिए नोटिस नहीं जारी किया जाना चाहिए।
- GST-Tran-1 के माध्यम से एसजीएसटी के दावे को राज्य कर विभाग द्वारा अनुमोदन हेतु केन्द्रीय कर विभाग के पास भेजा जाता है और वहाँ

से दावे को ससमय अनुमोदन करके नहीं लौटाया जाता है जिसकी वजह से करदाता को परेशानी उठानी पड़ती है। इस सन्दर्भ में उचित कदम उठाने की जरूरत है।

- जीएसटी की धारा 16 (4) में बदलाव किया जाना चाहिए।
- **जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।**
- पूर्व की भांति ईवे बिल प्रत्येक 100 किलोमिटर पर 1 दिन कर देना चाहिए।
- टेक्सटाईल्स एवं फूटवेयर पर जीएसटी में वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए।
- निबंधन में सरल एवं सुगम दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- B2B के बजाय B2C के रूप में फाईल की गयी भूल को GSTR 1 में सुधार का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- GSTR 3B में सुधार किया जाना चाहिए।
- GSTR 1 के बिलम्ब शुल्क को माफ किया जाना चाहिए।
- FAR एवं बिल्डिंग की ऊँचाई सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना चाहिए।
- राज्य के सर्विस सेक्टर को भी प्रायरिटी सेक्टर में रखा जाना चाहिए।
- आईटी की बड़ी कंपनियाँ यथा - टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस आदि का डेवलपमेंट सेन्टर पटना में भी स्थापित कराया जाना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
- आईटी सेक्टर को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं खरीद अधिमानता नीति में स्थान दिया जाना चाहिए।
- सरकार के सभी विभागों को आवंटित बजट का कम-से-कम 33 प्रतिशत राशि आईटी पर खर्च करना आवश्यक बनाया जाना चाहिए।
- आईटी सेक्टर को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। बिजली की खपत पर आईटी सेक्टर को सबसिडी दिया जाना चाहिए।
- सरकारी खरीद में राज्य के आईटी सेक्टर को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
- बिहार में आईटी से संबंधित प्रस्तावों एवं निवेश के लिए प्रोजेक्ट एप्रेजल एंड मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाना चाहिए।

चैम्बर द्वारा मेदान्ता होस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चेक अप कैम्प आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 19 दिसम्बर 2021 को चैम्बर प्रांगण में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चेकअप कैम्प का आयोजन मेदान्ता होस्पिटल तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरों के सहयोग से किया गया। कैम्प का उद्घाटन श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के कर-कमलों से हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने इस अवसर पर बताया कि आज के चेकअप कैम्प में मेदान्ता होस्पिटल के डॉ० शमशाद आलम, डीएम कॉर्डियोलॉजिस्ट, डॉ० सूरज कुमार, नेफरोलॉजिस्ट, डॉ० अशुभी कुन्जन अगेय, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉ० जयन्त, पलमोनोलॉजिस्ट, डॉ० प्रिन्स, जेनरल फिजिशियन के साथ-साथ डॉ० एस० एस० झा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉ० वीणा मिश्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ० शशि मोहनका, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं डॉ० रवि प्रकाश, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा रोगों की जाँच कर सलाह दिया गया। कैम्प में ईको,

मेडिकल कैम्प का फीता काट कर उद्घाटन करते माननीय सांसद सह-पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री आशीष शंकर एवं अन्य।

मा. सांसद-सह-पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को चादर ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं अन्य।

मेडिकल कैम्प में हड्डी की मजबूती का जाँच कराते मा. सांसद श्री सुशील कुमार मोदी। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

मेदांता के कार्डियोलोजिस्ट डा. शमशाद आलम को बूके एवं चादर से सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

मेदांता के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. आशुभी कुंजन अगेय को बूके एवं चादर से सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पांडेय।

मेदांता के जेनरल फिजिसियन डॉ. प्रिंस को बूके, चादर देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।

मेदांता के पलमोनॉजिस्ट डॉ. जयंत को बूके, चादर देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. एस. झा को बूके, चादर एवं मेनेन्टो देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वीणा मिश्रा को सम्मानित करती श्रीमती नीलम अग्रवाल एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका को बूके, चादर भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के अग्रवाल। साथ में महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष की गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सावल राम डूंलिया।

फिजियोथेरापिस्ट डॉ रवि प्रकाश को चादर ओढाकर सम्मानित करते पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश खेतडीवाल एवं अन्य

मेडिकल कैम्प में कार्डियोलॉजी, नेफरोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं सामान्य रोगों श्री जाँच करते मेदांता के डॉक्टर।

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. एस. झा मरीज की जाँच करते हुए।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर

कैम्प में स्त्री-रोग की जाँच करती स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. वीणा मिश्रा

कैम्प में मरीजों की फिजियोथेरापी करते डॉक्टर रवि प्रकाश

कैम्प में आँखों की जाँच करते नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका एवं मरीज

कैम्प में ईसीजी की जाँच कराते लोग

कैम्प में इको जाँच कराते लोग

मेडिकल कैम्प में ब्लड प्रेसर एवं ब्लड़ सुगर की जाँच कराते लोग

कैम्प में पी.एफ.टी. की जाँच कराते लोग

ई.सी.जी., शुगर, बी.पी., बीएमडी (बोन मिनरल डेनसिटी) हड्डी के कमजोरी की भी जाँच की गई।

चैम्बर न सिर्फ राज्य के व्यवसायिक हित के कार्यों को करता है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के कार्यों यथा - बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक आपदाओं में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कौशल विकास जैसे कार्यों के निर्वहन में सदैव आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। इसी क्रम में आज मेदान्ता होस्पिटल के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में चेकअप कैम्प का आयोजन किया गया है इसका उद्देश्य पटना के वैसे लोग जो बड़े-बड़े शहरों में स्थित अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, उन्हें पटना में ही बेहतर इलाज एवं डाक्टर का परामर्श प्रदान कराना है। इसके पूर्व भी चैम्बर की ओर से अन्य कैम्पों के साथ-साथ माह जनवरी 2017 एवं दिसम्बर 2017 में मेदान्ता होस्पिटल के सहयोग से दो दिन के कैम्प का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया था।

कैम्प में लगभग 200 लोगों का मेदान्ता होस्पिटल के डाक्टरों के साथ-साथ अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया गया एवं आवश्यक सलाह दी गयी।

चेक अप कैम्प के सफल संचालन में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सावल राम डोलिया, श्री आशीष शंकर, श्री पवन भगत, श्री अजय गुप्ता, श्री शशि गोयल, श्री राजेश माखरिया, श्री मुनेश जैन ने अपना-अपना योगदान किया।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ने सभी डॉक्टरों को बूके, मेमेन्टो एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल नवगठित कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्थापना समारोह में शामिल हुआ

स्थापना समारोह में मंचासीन माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उनकी बाँयी ओर क्रमशः माननीय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री डॉ. आलोक रंजन, बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, बीआईए के उपाध्यक्ष श्री भरत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री मनीष तिवारी। दाँयीं ओर माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा, श्री श्याम सुन्दर मीमसरिया।

नवगठित कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्थापना समारोह सहरसा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को स्थानीय मंगलम मैरिज रिसॉर्ट में सम्पन्न हुआ। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल विशेष आमंत्रण पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन के नेतृत्व में स्थापना समारोह में सम्मिलित हुआ। प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय शामिल थे।

समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन, माननीय महिषी विधायक श्री गुंजेश्वर साह, माननीय सोनवर्षा विधायक रत्नेश सादा, डी०डी०सी०-सह-प्रभारी जिलाधिकारी शाहिला, एस० पी० लिपि सिंह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, बी०आई०ए० के उपाध्यक्ष, श्री भरत अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष श्री मनीष तिवारी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

अतिथियों का स्वागत बुके, पाग, चादर के साथ और मेमेन्टों देकर सम्मानित किया गया।

स्वागत सम्बोधन नवगठित कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अर्जुन दहलान ने किया।

माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिहार को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है तो बिहार में उद्योग एवं व्यवसाय को बेहतर ढंग से खड़ा करना पड़ेगा। कोरोना काल से थोड़ा उबरने के पश्चात् परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल हुई हैं।

कोशी चैम्बर द्वारा स्वागत में लगाये स्टैंडी के पास बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी (दाँयें)। तथा बिहार चैम्बर के पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं बीआईए के कोषाध्यक्ष श्री मनीष तिवारी (बाँयें)।

बिहार चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन को बूके, चादर, पाग एवं मेमेन्टो देकर सम्मानित करते कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी

बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी (मध्य) को बूके, पाग, चादर एवं मेमेन्टो से सम्मानित करते कोशी चैम्बर के पदाधिकारी। साथ में बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा बी. आई.ए. उपाध्यक्ष श्री भरत अग्रवाल

समारोह को सबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं मंचासीन अतिथिगण

कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अर्जुन दहलान को चैम्बर का कॉफी टेबुल एवं मेमेन्टो तथा अन्य अधिकारियों को चैम्बर बुलेटीन की प्रतियाँ भेंट करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी

उन्होंने कहा कि बिहार के बदले वातावरण में आप नये सिरे से उद्योग लगायें। सरकार हर स्तर पर सहायता देने को तत्पर है। वैट का जो विवाद है उसे समाप्त करने के लिए एक मुश्त योजना (OTS) कोड लागू करेंगे। व्यापारियों की जो भी समस्याएं विचाराधीन हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जायेगी।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सहरसा के बंगाली बाजार में आर०ओ०बी० निर्माण की स्वीकृति सरकार देने जा रही है। आर०ओ०बी० का निर्माण होगा ताकि आवागमन सहजता से हो। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन कारोबार के कारण रिटेलरों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार इस मुद्दे को लेकर केन्द्रीय वित मंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑन लाइन कारोबार की जिस प्रकार बिक्री बढ़ी है, वह खुदरा कारोबार के लिए एक खतरनाक संकेत है। इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। बजट से पहले एक बैठक 30 दिसम्बर, 2021 को केन्द्रीय वित मंत्री के साथ दिल्ली में होने वाली है। उसमें इस मामले को विस्तार से उठाएंगे।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने 2016 में बनी इथनॉल निवेश नीति के तहत व्यवसायियों को खुले तौर पर उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने वाणिज्य कर अधिकारियों को आगाह किया कि कोई भी व्यापारियों को बेवजह परेशान नहीं करें अन्यथा कारवाई में जरा भी देरी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वहाँ उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि इस क्षेत्र के उद्योग व्यवसाय के विकास के लिए जो भी आवश्यकता हो, उस सम्बन्ध में सरकार को अपनी बहुमूल्य राय दें ताकि सरकार आवश्यक कदम उठा सके।

माननीय कला संस्कृति व युवा मंत्री डॉ० आलोक रंजन ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बल प्रदान करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर्दापण हुआ है। पूरे बिहार के व्यवसायी उप मुख्यमंत्री की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। सौभाग्य से माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जन्म भूमि सहरसा है। इसलिए सहरसा, कोशी क्षेत्र के लोग पूरी उम्मीद किये बैठे है। कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी शुरूआत है।

सहरसा की प्रभारी जिलाधिकारी-सह-डी०डी०सी० शाहिला ने कहा कि कोशी क्षेत्र कृषि पर निर्भर है। अगर कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कृषि आधारित उद्योग के लिए कोई योजना बनाती है तो प्रशासन द्वारा उन्हें अपेक्षित सहयोग मिलेगा। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कोशी चैम्बर के सदस्यों को बधाई देते हुए उल्लेखनीय कार्य करने का आग्रह किया।

अपने सम्बोधन में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने कहा कि नवगठित कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना से इस क्षेत्र के व्यवसायियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निवारण हेतु एक सशक्त माध्यम मिल गया है। इसके लिए मैं कोशी चैम्बर के सभी पदाधिकारियों-सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी स्वंय व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हैं इसलिए उन्हें इसका विस्तृत अनुभव भी है। आपका जन्म स्थान भी यहीं होने से कोशी क्षेत्र के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु आप हर सम्भव प्रयास करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है।

माननीय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री डॉ० आलोक रंजन जी भी बिहार के उद्योग एवं व्यापार की समस्याओं से चिंतित हैं एवं उसके निराकरण में प्रयासरत हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी बिहार के औद्योगीकरण के लिए काफी प्रयत्यशील है। हम व्यवसायियों को पूरी उम्मीद है कि बिहार औद्योगीकरण में भी अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा।

श्री जैन ने बिहार के प्रति बैंकों के पक्षपात पूर्ण रवैये के प्रति माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यकता बताई कि इस पक्षपात पूर्ण रवैये को रोकने के लिए Public Sector Bank का मुख्यालय बिहार में हो जिसके Board of Directors में राज्य का प्रतिनिधित्व हो। इसके अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक समस्याओं पर माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

इस अवसर पर श्री जैन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी के तहत चैम्बर द्वारा चलाये जा रहे नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, मेडिकल कैम्प, मोतियाबिन्द का ऑपरेशन, स्वरोजगार हेतु ठेला दिया जाना, प्राकृतिक आपदा में समाज सेवा हेतु किये गये कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने नव गठित कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अपेक्षा की कि आने वाले समय में व्यावसायिक हितों के साथ-साथ सामाजिक हितों का भी ध्यान रखेंगे। अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराते रहें, सहयोग हेतु हम तत्पर हैं।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को स्मृति चिह्न एवं कॉफी टेबुल बुक तथा बीसीसीआई बुलेटिन भी प्रदान किया गया।

रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्र द्वारा आयोजित विन्टर कार्निवल में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

नये साल के आगमन पर रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्र की ओर से दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को विन्टर कार्निवल का आयोजन न्यू पटना क्लब में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ पूर्व जिला गवर्नर श्रीमती बिन्दु सिंह, रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्र के अध्यक्ष श्री जय प्रकाश तोदी, संयोजक श्री अशोक अग्रवाल, सेक्रेटरी श्री अंजनी सिन्हा एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर हुआ।

इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेल, महिलाओं के लिए हाउजी एवं युवाओं के लिए गीत-संगीत का कार्यक्रम था।

बीसीसीआई की अपील, मास्क वालों को ही दुकान-प्रतिष्ठानों में दें प्रवेश

पटना में कोरोना के मामले में तेजी वे इजाफा हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसका असर बाजार पर भी पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए व्यापारी संगठनों ने शहर के दुकानदारों और ग्राहकों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने शहर के दुकानदारों से अपील की है कि बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को अपनी दुकान में प्रवेश नहीं दें। दुकान पर बगैर मास्क आए खरीदारों को मास्क बांटने की भी व्यवस्था करें। दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कई प्रतिबंध लगाये गये हैं।

(हिन्दुस्तान, 31.12.2021)

पथ निर्माण मंत्री ने कहा – कुल स्वीकृत 56 नए आरओबी में से 12 का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा

माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन ने कहा कि नाबार्ड राज्य के आधारभूत संरचना को मजबूत करने में पहले से ही मदद कर रहा है। वर्ष 2001-2002 से ही पथ निर्माण विभाग राज्य की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से लोन ले रहा है। नाबार्ड के इस नए निर्णय से पहले से स्वीकृत 12 आरओबी जिनका धन के अभाव में काम धीमा था, वो तेज होंगे। वहीं राज्य मे 56 नए आरओबी निर्माण की योजना है जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 12 का निर्माण शुरू करने में मदद मिलेगी। वैसे अभी नाबार्ड से लोन लेकर आरआईडीएफ (रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) योजना के तहत 12 हजार 700 करोड़ की लागत से कुल 95 पथ-पुल परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है। इसमें सिर्फ वित्तीय वर्ष 2020-21 में आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड ने पथ निर्माण विभाग की 20 योजनाओं के लिए 292.60 करोड़ के लोन की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में आधारभूत संरचना के निर्माण में और तेजी आएगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 15.12.2021)

नीति आयोग पर राज्य की अनदेखी का आरोप

बिहार ने कहा- विशेष राज्य का दर्जा मिले, तभी होगा पूर्ण विकास

पिछले 11-12 वर्षों से की जा रही है यह मांग

बिहार ने एक बार फिर केन्द्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि नीति आयोग ने भी माना है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, संपूर्ण विकास संभव नहीं है। राज्य सरकार पिछले 11-12 वर्षों से यह मांग करती आ रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा मिल जाने से यहाँ निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा। रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। योजना मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिख कर राज्य सरकार के पक्ष को रखा है। सरकार की ओर से इसके पहले

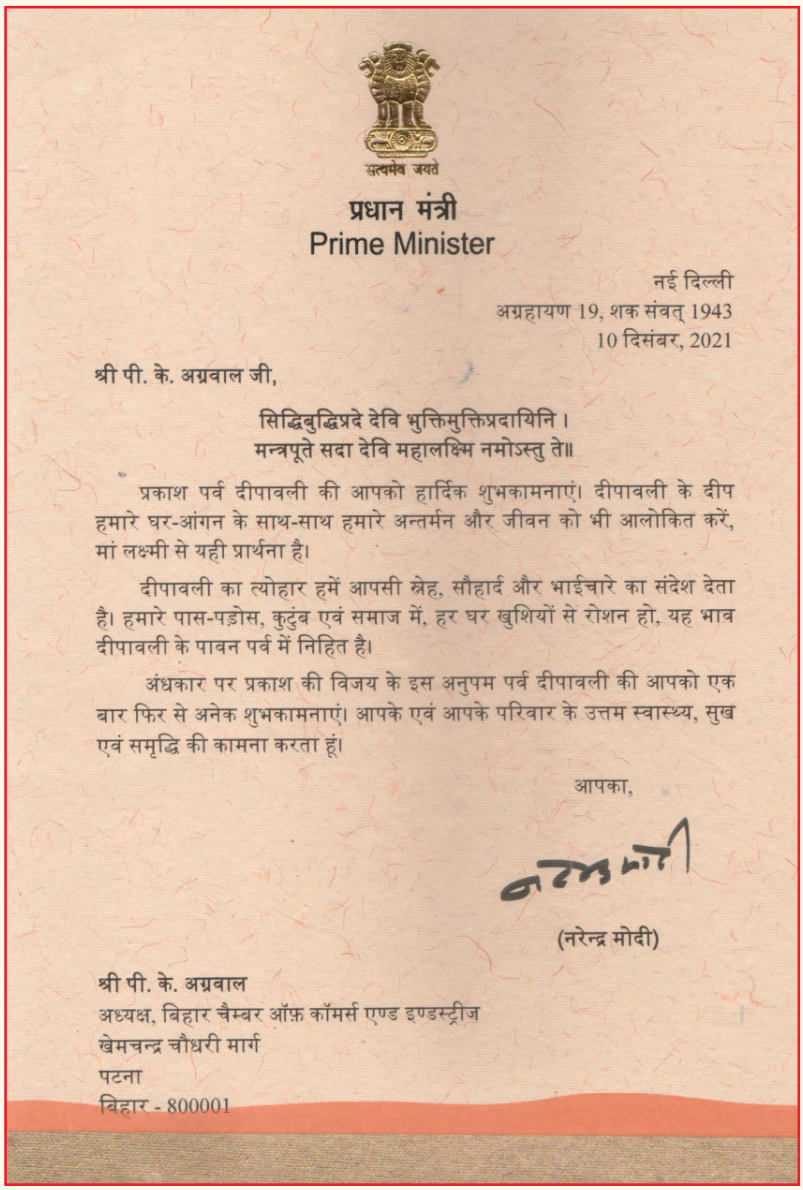

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
अग्रहायण 19, शक संवत् 1943
10 दिसंबर, 2021

श्री पी. के. अग्रवाल जी,

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।
मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

प्रकाश पर्व दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दीप हमारे घर-आंगन के साथ-साथ हमारे अन्तर्मन और जीवन को भी आलोकित करें, मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना है।

दीपावली का त्योहार हमें आपसी स्नेह, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। हमारे पास-पड़ोस, कुटुंब एवं समाज में, हर घर खुशियों से रोशन हो, यह भाव दीपावली के पावन पर्व में निहित है।

अंधकार पर प्रकाश की विजय के इस अनुपम पर्व दीपावली की आपको एक बार फिर से अनेक शुभकामनाएं। आपके एवं आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य, सुख एवं समृद्धि की कामना करता हूं।

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

श्री पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
खेमचन्द्र चौधरी मार्ग
पटना
बिहार - 800001

भी कई स्तर पर विकसित राज्यों की कतार में खड़े होने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग रखी गयी है। सरकार ने नीति आयोग द्वारा नवंबर महीने में जारी रिपोर्ट में बिहार के साथ अनदेखी का आरोप लगाया है।

जिन राज्यों को विशेष दर्जा, उनका हुआ विकास : कहा गया है कि नीति आयोग ने छह साल पूर्व 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है, जबकि इन छह वर्षों में राज्य में कई मोर्चे पर प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार जैसे राज्यों के ट्रांसफार्म हुए बिना देश का ट्रांसफार्मेशन कैसे हो सकता है। बिहार सरकार इसके लिए कई प्रयास कर रही है, की है। नीति आयोग को भी इसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में उच्च विकास दर हासिल करने के बाद भी बिहार विकास के प्रमुख मापदंडों में पीछे रहा है। गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक निवेश, औद्योगीकरण और सार्वजनिक आधरभूत सुविधाओं में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है, उन्होंने विकास के मामले में काफी प्रगति की है। इसलिए पिछड़ेपन से निकल कर विकास के राष्ट्रीय औसत स्तर को हासिल करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है।

बिहार सरकार का तर्क : 1. नीति आयोग की रिपोर्ट पारिवारिक सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों पर तैयार की गयी है। 2015-16 से 2021 के बीच छह साल का फासला है। इस दौरान राज्य में विकास के कई कार्य हुए हैं, जिसकी नीति आयोग की रिपोर्ट में अनदेखी हुई है। 2. राज्य का आर्थिक विकास दर 2016-17 में 8.9 प्रतिशत रहा था, जबकि 2019-20 में राज्य का

विकास दर 10.5 था। 2020-21 की अवधि में बिहार का वार्षिक विकास दर देश के सभी राज्यों से ऊपर था। नीति आयोग की रिपोर्ट में इसे तरजीह नहीं दिया गया है।

यहाँ है विवाद : नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि बिहार गरीबी, न्यूट्रीशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूलों में उपस्थिति और बिजली मामलों में देश में सबसे निचले पायदान पर है।

यह होगा लाभ : राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश में कमी आयेगी। विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्यों को 90:10 के अनुपात से राज्यांश देना होता है। यानी दस फीसदी ही राज्यांश देना होता है, जबकि अन्य राज्यों को 60:40 या कुछ मामलों में 50: 50 के अनुपात में भी वहन करना होता है। निवेशकों को करों में छूट मिलेगी। साथ ही कई रियायतें भी मिलेंगी। इससे निवेश का रास्ता खुलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

(साभार : प्रभात खबर, 11.12.2021)

साइबरक्राइम की राष्ट्रीय पोर्टल पर करें शिकायत

साइबर अपराधी आपके बैंक खातों से रुपए उड़ा लेते हैं तो तुरंत राष्ट्रीय पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत करें। बिहार पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए शिकायत की प्रक्रिया की विस्तृत जारनकारी साझा की है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नम्बर **155260** पर बात कर सकते हैं।

पुलिस के मुताबिक हेल्पलाइन नम्बर पर शिकायत अंकित करते समय कुछ सूचनाएँ भी देनी होंगी। इसमें मोबाइल नंबर, रुपए निकाले जाने की तारीख, बैंक खाता, वॉलेट आईडी व यूपी आई आईईडी भी बताना है, जिससे पैसा निकाला गया। ट्रॉन्जेक्शन आईडी और स्क्रीन शॉट यदि उपलब्ध हो तो उसे भी उपलब्ध कराना है। शिकायत अंकित कराने के बाद शिकायतकर्ता को लॉगिन आईडी, एसएमएस या ई-मेल के लिए भेजी जाएगी। इसे 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा। शिकायत प्राप्ता होते ही संबंधित हेल्प डेस्क टीम के द्वारा जांच कर बैंक, वित्तीय संस्था या पेमेंट गेट-वे से संपर्क कर खाते की शेष राशि की निकासी पर रोक लगावा दी जाएगी। वहीं पुलिस, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा साइबर अपराध के मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.12.2021)**

औद्योगिक इकाइयों की सूची की जा रही तैयार

नदियों के किनारे स्थित औद्योगिक इकाइयों की सूची तैयार हो रही है। यह देखा जा रहा कि नदियों के किनारे जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं, वहाँ प्रदूषण फैला रही है या नहीं। ऐसी इकाइयों पर नकेल कसने की तैयारी है। तय मानकों के उल्लंघन पर इन पर सख्ती भी संभव है। **(दैनिक जागरण, 11.12.2021)**

50 करोड़ रु से अधिक के लेनदेन पर एलईआई नंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार 10.12.2021 को कहा कि कंपनियों को अक्टूबर 2022 से विदेशों में 50 करोड़ रुपये या अधिक राशि के लेनदेन के लिए 20 अंकों वाले वैध इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) नंबर का उल्लेख करना होगा। एलईआई वित्तीय लेनदेन के लिए पक्षों की पहचान सुनिश्चित करने वाला 20 अंकों का एक नंबर होता है। वित्तीय आंकड़े से जुड़ी प्रणालियों की गुणवत्ता एवं सटीकता सुधारने के लिए पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

आरबीआई ने अपने एक परिपत्र में कहा कि भारत में स्थित कंपनियों को बैंकों से 50 करोड़ रुपये या अधिक राशि के विदेश में लेनदेन के लिए एक अक्टूबर 2022 से एलईआई नंबर लेने होंगे। यह प्रावधान फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) कानून, 1999 के तहत किया गया है।

केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक कंपनियों को एक अक्टूबर 2022 से पहले भी 50 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी लेनदेन के लिए एलईआई नंबर जारी कराने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हालांकि एक बार एलईआई नंबर जारी होने के बाद कंपनी को अपने सभी आकार के लेनदेन में उसका उल्लेख करना जरूरी होगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.12.2021)**

होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरज हॉल एवं रेस्टोरेंट के संचालकों के लिए आवश्यक सूचना

औद्योगिक क्षेत्रों का संशोधित वर्गीकरण जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अंगीकार किया गया है, के तहत सहमति प्राप्त करने हेतु होटल व्यवसाय का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :-

क्र.	होटल	वर्गीकरण
1	100 किलोलीटर प्रति दिन से अधिक अपशिष्ट जल का नि:स्सरण करने वाले **होटल;**	**लाल**
2	3 स्टार से कम अथवा 20 कमरों से अधिक परन्तु 100 कमरों से कम क्षमता के **होटल** जो 100 किलोलीटर प्रतिदिन से कम अपशिष्ट जल नि:स्सारित करते हैं;	**नारंगी**
3	(क) **बिना बॉयलर वाले 20 कमरों तक के होटल, जिनके द्वारा 10 किलोलीटर प्रतिदिन से कम अपशिष्ट जल नि:स्सारित किया जाता है** तथा जिनके द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का जनन नहीं किया जाता हो; (ख) (i) 20 कमरों से कम क्षमता के **होटल;** (ii) कम से कम 100 वर्गमीटर तक धरातल क्षेत्रफल के **बैंक्वेट हॉल;** (iii) कम से कम 36 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले **रेस्टोरेंट**	**हरा**

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा **वेस्टइण्ड ग्रीन फार्म सोसाईटी बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया (मूल आवेदन संख्या-400/2017) में दिनांक 23.7.2020** को पारित आदेश के अनुसार "होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल" के संचालन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति लेना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाये गये विभिन्न नियमावलियों यथा-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016; अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियमावली, 2016; निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016; ई. अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016; ध्वनि-प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2016 तथा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2001 (यथा संशोधित) में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के आलोक में एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि राज्य स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल तथा बैंक्वेट हॉल राज्य पर्षद् से संचालनार्थ सहमति प्राप्त कर ही संचालन करेंगे। इसका उलंघन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिथम, 1974 की धारा- 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों को आकृष्ट करेगा।

जन-सामान्य से अनुरोध है कि इससे संबंधित शिकायत पर्षद् के ईमेल : grievance@bspcb.in या व्हाट्सएप नं. - 7070379278 पर भेज सकते हैं।

सदस्य-सचिव।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना- 800 010
दूरभाष नं. - 0612-2261250/2262265, फैक्स- 612-2261050
Email : msbspcb-bih@gov.in / Website : http://bspcb.bihar.gov.in

(साभार : Times of India, 11.12.2021)

स्मार्ट मीटर लगाने से इनकार पर कटेगी बिजली

• बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड को उपभोक्ताओं से अनुमति लेना जरूरी नहीं • बिजली के काम में बाधा पहुँचायी जाती है तो काटा जा सकता है कनेक्शन

बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। बिजली

कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी अपने अनुसार हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें तीन स्पष्ट आदेश हैं जिसके तहत स्मार्ट मीटर हर घर में लगाना अनिवार्य किया गया है। उसके लिए बिजली कंपनी को किसी की सहमति की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, इसलिए पैसा समाप्त होने पर स्वत: बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा कि मीटर का पैसा समाप्त नहीं हो। बिजली कंपनी को पुराने मीटर बदलने के लिए भी उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

• पुराने मीटर बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं • केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय ने आदेश जारी किया

"भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तीन स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। नए मीटर लगाने या पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हर घर में मीटर लगने है, जिसका उपभोक्ताओं को अनुपालन करना होगा।" **– अरविंद कुमार,** जीएम राजस्व
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी
(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.12.2021)

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में चौथे स्थान पर बिहार

बिहार में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी व इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर परिवहन विभाग डीजल -पेट्रोल की गड़ियों को सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए अनुदान भी दे रही है। ऐसे में यूपी, दिल्ली और कर्नाटक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सबसे आगे हैं। वहीं, बिहार चौथे स्थान पर है। आंकड़ों के मुताबिक देशभर में अब तक 8,70,141 इलेक्ट्रिक वाहनों का निबंधन किया गया है, वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटा कर पाँच प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी : पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने का मार्केट में किट उपलब्ध है, लेकिन डीजल चालित ऑटो को बदल कर बैटरी चालित ऑटो व सीएनजी चालित ऑटो को क्रय करने का विकल्प है। राज्य सरकार ऑटो चालकों को सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। जानकारी के मुताबिक बड़ी गाड़ियों पर आठ लाख तक का अनुदान दिया जाता है और ऑटो पर 40 हजार तक का।

सीएनजी व इलेक्ट्रिक ऑटो व बस को दिया जा रहा बढ़ावा : डीजल चालित ऑटो को प्रतिबंधित करते हुए इसके जगह सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीजल एवं पेट्रोल चालित ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने वाले वाहन चालकों को राज्य सरकार की और से सब्सिडी भी दी जा रही है। इन जगहों पर इलेक्ट्रिक व सीएनजी चालित बस-ऑटा तथा बैट्री चालित तिपहिया वाहनों के परिचालत को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.12.2021)

सिक्योरिटी मनी के बिना पीएनजी कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन भी रहेगा फ्री

शहर में जैसे-जैसे पीएनजी पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों को कनेक्शन मिलने में सुविधा मिल रही है। अब कनेक्शन लेने के दौरान 4500 रुपए सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपए भी माफ कर दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद कनेक्शन मिल जाएगा। गेल कंपनी के अधिकारी के मुताबिक सिक्योरिटी मनी एडवांस में नहीं ली जाएगी। पीएनजी की सप्लाई शुरू होने के बाद हर दो महीना के बाद बिल के साथ 60 रुपए लिये जाएंगे। एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से सिक्योरिटी मनी लगेगी।

एलपीजी की तुलना में प्रति माह 300 रुपए की बचत : पटना गेल के जीएम ए. के. सिन्हा के मुताबिक मार्च 2022 तक शहर में 11500 कनेक्शन हो जाएँगे। अभी 5500 घरों मे कनेक्शन दिया जा चुका है। एलपीजी के तुलना में पीएनजी यूज करने पर प्रति माह 300 रुपए की बचत होती है। जिनके घर में एक माह में एलपीजी के दो सिलेंडर की खपत होती है, उन्हें प्रति माह 600 रुपए की बचत होगी।

किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट पेपर दिखाने पर मिलेगा कनेक्शन : मकान मालिक के साथ-साथ किराएदार भी पीएनजी का कनेक्शन ले सकेंगे। किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट कॉपी दिखाने पर कनेक्शन मिल जाएगा। साथ ही आधार कार्ड जरूरी है। पहले मकान मालिक का बिजली बिल या अन्य कोई पहचान पत्र अनिवार्य था। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.12.2021)**

जीआइएस से लैस होंगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ

अग्निशमन गाड़ियों में नये सिस्टम के लगाने से घटनास्थल का सटीक लोकेशन पता चलेगा

• वर्तमान में अरवल, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, सारण, गया और बेतिया में इसे शुरू किया जायेगा, पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर • इन जिलों में यह प्रयोग सफल होने के बाद इसे सभी जिलों में एक समान रूप से लागू करने की योजना है

राज्य सरकार ने अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) की गड़ियों को कम समय में एकदम सटीक लोकेशन पर पहुँचाने के लिए नयी तकनीक से लैस करने जा रही है।

अब अग्निशमन की गाड़ियों को जीआइएस (ज्योग्रॉफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) से लैस किया जायेगा। जल्द ही सभी जिलों में फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों में इसे लगा दिया जायेगा। फिलहाल 10 जिलों में इसे पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरु किया जा रहा है। इनमें अरवल, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, सारण, गया और बेतिया शामिल हैं। इन जिलों में यह प्रयोग सफल होने के बाद इसे सभी जिलों में एक समान रूप से लागू करने की योजना है। गृह विभाग ने इससे जुड़ी सभी पहलुओं पर समीक्षा करने के बाद इसे लागू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.12.2021)**

बैंकिंग सेवाओं में सबसे ज्यादा लोग एटीएम से दुखी

आरबीआई को वर्ष 2018 से अब तक बैंकों के खिलाफ 10 लाख से अधिक शिकायतें मिलीं

देश में बैंक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने लाखों मामलों में रिजर्व बैंक का दरवाजा खटखटाया है। आरबीआई के लोकपाल को जुलाई 2018-19 से अब तक 10.39 लाख शिकायतें मिली हैं। इनमें सर्वाधिक 20 फीसदी एटीएम से जुड़ी हैं।

साल दर साल बढ़ रहा शिकायतों का आंकड़ा

शिकायत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एटीएम/डेबिट कार्ड	29,603	69,205	60,203	30,443
नियमों का उल्लंघन	39,188	40,124	33,898	24,437
मोबाइल/नेट बैंकिग	12,051	39,627	44,385	28,120
बिना जानकारी शुल्क	7,518	17,268	20,949	12,720

(मौजूदा वित्त वर्ष से पहले आरबीआई जुलाई से जून तक आंकड़ों का हिसाब रखता था।)

आंकड़ों के मुताबिक, अब तक रिजर्व बैंक को एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी 1.90 लाख शिकायतें जबकि इंटरनेट-मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी सवा लाख शिकायतें मिली हैं। पिछले वर्ष बिना मंजूरी सेवाओं के नाम पर पैसा काटना, कटौती के बाद भी ऋण पर ब्याज न घटाना जैसी शिकायतें ज्यादा थीं। रिजर्व बैंक का दावा है कि 2020-21 तक की सभी शिकायतें निपटा दी गई हैं। इस वर्ष भी नवम्बर तक मिली करीब दो लाख शिकायतों में से 1.76 लाख का निपटारा हो गया है।

कुल कितने मामले : • 2018-2019 : 1,84,732 **• 2019-2020 :** 3,06,704 **• 2020-2021 :** 3,41,747 **• 2021-2022 :** 2,05,951 (11 नवम्बर तक) **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.12.2021)**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक जिसमें थर्मोकोल भी सम्मलित है से बने कटलरी, जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप को 14 दिसम्बर 2021 से प्रतिबंधित किया गया था उसकी तिथि को विस्तारित कर 1 जुलाई 2022 किया गया है।

इससे संबंधित विभाग द्वारा जारी **अधिसूचना संख्या 988(ई०) दिनांक 16.12.2021** की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है :-

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संख्या : पर्या./जल./परि.(विविध)-16/2019 988(ई) प. व. ज. प. पटना-15
दिनांक - 16.12.2021

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत् 50 माईक्रान्स से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग (अप्रयुक्त या पुन : चक्रित) एवं प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु के पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर, जो वस्तु का अभिन्न भाग नहीं है, प्रतिबंधित हैं;

2. और चूँकि, बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या-943 दिनांक-24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से क्रमशः सभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत की परिसीमा में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है;

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना ए.ओ. (ई.) दिनांक- 10.2.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य की परिमीमा के भीतर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे-प्लेट, कप, ग्लास, काँटा, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ/जल परोसने के लिए किया जाता है, पानी के पाउच एवं पैकेट, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) आदि के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, बिक्रय एवं उपयोग पर अधिसूचना संख्या-पर्या. /वन (मु.)- 09/2019-406 (ई०)/ प. व., दिनांक- 16.6.2021 द्वारा अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के पश्चात् पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है;

4. और चूँकि, भारत सरकार की इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना संख्या-459, दिनांक- 12.8.2021 द्वारा देश भर में एकल उपयोग त्याज्य प्लास्टिक एवं इससे संबंधित उत्पाद पर प्रतिबंध दिनांक - 1.7.2022 से प्रभावी होनी है।

5. और चूँकि, उक्त अधिसूचना के कंडिका- 4 (2) अनुसार पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर शामिल हैं।

6. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकार अधिसूचना संख्या-पर्या./वन (मु.)- 09/ 2019-406 (ई.)/ प. व., दिनांक- 16.06.2021 के राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान पारा नं. 6 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"इसलिये अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या ए. ओ. (ई), दिनांक- 10.2.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर दिनांक-1.7.2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध करती है:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री,

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

7. पारा नं. 7 **"(निदेश)"** को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

बिहार राज्य की परिसीमा के भीतर दिनांक 01.7.2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषिद्ध किया जाता है:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री,

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

8. पारा नं. 12 **"(प्रवर्त्तन)"** को विलोपित किया जाता है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-पर्या./वन (मु.)-09/ 2019-406 (ई.)/ प. व. दिनांक- 16.6.2021 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह./-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

निर्णय सारांश

Assistant Commissioner of Income Tax
vs. G. S. Bhatia
(1997) 16 CCH 0171 MUM-TRIB,
(1997) 59 TTJ 0091

अगर परिवार, JOINT FAMILY की तरह रहता है और परिवार में सभी कमाते है तो सिर्फ घर खर्च कम होने के अनुमान के आधार पर आय नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को सिद्ध करना होगा की घर का खर्च सिर्फ करदाता अकेले ही उठाता है, तब ही करदाता की आय बढ़ाई जा सकती है।

Kishan Saraf & Anr.
vs. Assistant Commissioner of Income Tax
& Anr.
(2017) 51 CCH 0526 KOL- TRIB

करदाता ने पैसे कम निकाले है, इस बिना पर छूट अस्वीकार नहीं की जा सकती। करदाता एक JOINT FAMILY में रहता है और उसके द्वारा और परिवार के बाकी के सदस्यों द्वारा निकाले पैसे घर खर्च चलाने के लिए काफी है।

इसमें आयकर अधिकारी ने करदाता की छूट इसलिए खारिज कर दी क्योंकि उसने पैसे कम निकाले थे। आयकर अधिकारी ने निकाले गए पैसे का सबूत मांगा तो करदाता, स्वयं के और परिवार के सिर्फ बैंक के STATEMENT ही दिखा पाया। आयकर अधिकारी ने असंतुष्ट होकर करदाता की छूट खारिज कर दी।

मामला ट्रिब्युनल के समक्ष पहुँचा और ट्रिब्युनल ने कहा कि परिवार में 4-5 लोग साथ में रहते है और सभी आयकर रिटर्न भी भरते हैं। इसे में करदाता का बयान

कि, उसके और परिवार के सदस्यों द्वारा निकाले पैसे घर खर्च चलाने के लिए काफी है, माना जा सकता है।

ट्रिब्युनल ने यह भी कहा कि आयकर अधिकारी ने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जिससे करदाता के रहन-सहन और निकाले गए पैसों पर संदेह हो। अत: ट्रिब्युनल ने निर्धारिती के हक में फैसला सुनाया।

Rajkumar Jain vs. Assistant Commissioner of Income Tax
(1944) 13 CCH 0144 All - TRIB,
(1944) 50 ITD 0001 (TM),
(1944) 49 TTJ 0558

करदाता के घर का खर्च केवल इस वजह से ज्यादा नहीं माना जा सकता कि वह कम्पनी में उंचे पद पर है और उसकी अन्य कुछ फर्मों में हिस्सेदारी भी है। सबूत का भार आयकर अधिकारी पर होगा कि वह यह साबित करे। अगर आयकर अधिकारी यह साबित नहीं कर सकता कि करदाता ने घर खर्च कम दिखाया है। तो करदाता के ब्याज को सच माना जाएगा।

Harbhajan Kaur vs. Deputy Commissioner of Income Tax
(2021) 62 CCH 0343 CHD - TRIB
(2021) 190 ITR (TRIB) 0071
(CHANDIGARH),
(2021) 212 TTJ 0040 (CHD) (UO)

अगर आयकर अधिकारी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं करता जिससे यह पता चले कि, करदाता ने घर खर्च, अघोषित आय से चलाया है, नहीं माना जाएगा। सबूत के तौर पर सिर्फ यह बताना काफी नहीं कि, करदाता के पुत्र ने यह बयान दिया था कि घर खर्च सिर्फ उसके माता-पिता चलाते है तथा करदाता के यहाँ नौकर चाकर है, करदाता के पास कई गाड़िया है और करदाता ने अपने बच्चों कि पढ़ाई पर बहुत खर्च किया है।

Deputy Commissioner of Income Tax vs. M. L. Jain
(2005) 24 CCH 0430 JODH-TRIB
(2005) 96 TTJ 0362

करदाता के यहाँ तलाशी के दौरान अगर आयकर अधिकारी को ऐसा सबूत या कागजात नहीं मिले हैं, जिससे यह साबित हो सके कि करदाता ने घर खर्च कम दिखाया है या यह साबित हो सके कि करदाता ने घर खर्च ज्यादा रुपये खर्च किये है, तो इस बिना पर आय नहीं बढ़ाई जा सकती है।

ट्रिब्युनल ने यह भी कहा कि अगर तलाशी में करदाता के यहाँ कोई अस्पष्ट या रहस्यमय धन राशी नहीं मिली है तो सिर्फ करदाता के बयान के आधार पर आय बढ़ाना गलत है।

Income Tax Officer vs. Resma Devi
(2004) 23 CCH 0683 JODH-TRIB
(2005) 94 TTJ 0761

पति एवं पत्नी दोनों आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। पति पेशे से DOCTOR है और घर का सारा खर्च वहीं देखता है। पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पति की है।

इस केस में आयकर अधिकारी ने पति द्वारा दाखिल रिटर्न और घर खर्च को सही माना परंतु पत्नी के आयकर रिटर्न और घर खर्च को सही नहीं माना पत्नी की आय बढ़ा दी।

इस पर ट्रिब्युनल ने फैसला दिया कि यदि आयकर अधिकारी ने पति की रिटर्न में घर खर्च सही माना है तो पत्नी की रिटर्न में घर खर्च कम दिखाने के बिना पर पत्नी की आय नहीं बढ़ाई जा सकती।

Anil Mahavir Gupta vs. CIT & Anr.
(2016) 182 TTJ 0265 (MUMBAI)

करदाता के यहाँ तलाशी की कार्यवाही के पश्चात् आयकर अधिकारी ने करदाता के घर खर्च को सिर्फ उसके रहन-सहन के ढंग के आधार पर कम माना है, आय बढ़ा दी।

इस पर न्यायालय ने विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि करदाता के यहाँ अघोषित घर खर्च है। इसके विभाग ने इस प्रकिया के दौरान परिवार के सदस्यों कि संख्या एवं उनके द्वारा निकाले पैसों की गणना नहीं की। अत: न्यायालय ने विभाग की प्रक्रिया को सही नहीं माना।

Kalyan Sarkar vs. Income Tax Officer
(2016) 47 CCH 0254 KOL-TRIB

आयकर अधिकारी ने करदाता के परिवार के सदस्यों, उसके रहन-सहन के ढंग, आदि के आधार पर घर खर्च का कम माना और उसे करदाता की आय में जोड़ दिया।

मामला न्यायालय में आने पर न्यायालय ने फैसला दिया कि निर्धारिती ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे यह पता चले कि आयकर अधिकारी से घर खर्च की गणना करते समय कोई चूक हुई है। करदाता ने यह तो जरुर कहा कि घर खर्च उसके स्वयं के और उसकी पत्नी द्वारा TUTION से कमाए पैसों से चलता है परन्तु इसका कोई सबूत पेश नहीं किया। अत: न्यायालय ने आयकर अधिकारी द्वारा आय बढ़ाने की प्रकिया को सही माना।

Prabhu Dayal Lallu Ram vs. Income Tax Officer
(1998) 17 CCH 0176 DEL- TRIB
(1999) 63 TTJ 0557

घर खर्च कम दिखाने की बिना पर फर्म के पार्टनर की आय बढ़ाई जा सकती है परन्तु उसके लिए आयकर अधिकारी को न्यायालय के समक्ष ऐसा पक्का सबूत पेश करना होगा जिससे यह साबित हो सके कि पार्टनर के घर का खर्च फर्म उठाती है। क्योंकी आयकर अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया इस लिए न्यायालय ने आयकर अधिकारी की प्रकिया को सही नहीं माना और करदाता के हक में फैसला दिया।

Bhagwan Das Sohan Lal Jain vs. Income Tax Officer
(2004) 041 SOT 663 (AGRA)

न्यायालय न इस केस मे स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर फर्म के पार्टनर द्वारा स्वयं का घर खर्च कम दिया है तो इस बिना पर वह अतिरिक्त आय फर्म की आय में नहीं जोड़ी जा सकती है।

घर खर्च दिखाने से संबंधित राय:

(1) अकसर आयकर अधिकारी द्वारा बताए घर खर्च की बारिकियों को महत्व ज्यादा देते है। अत: इस बात ध्यान में रखते हुए करदाता अपनी 3-4 वर्षों की आय एवं घर खर्च की पूरी जानकारी रखें।

(2) यदि करदाता का परिवार बड़ा है और परिवार में एक से अधिक लोग घर खर्च उठाते है तो उसकी भी पूरी जानकारी रखें।

(3) यदि करदाता अपने घर खर्च को स्वयं के SAVING बैंक अकाउंट से न चलाकर अपने CAPITAL ACCOUNT से चलाता है तो ऐसी जानकारी निर्धारण के वक्त आयकर अधिकरी को बताना सही रहेगा।

(4) यदि करदाता के परिवार का कोई सदस्य TUTION से DANCE एवं MUSIC सिखाकर आय अर्जित करता है उस चीज सबूत किसी न किसी रूप में जरुर रखें।

(5) SCRUTINY के निर्धारण के वक्त अकसर आयकर अधिकारी करदाता के उन खातों को देखते है जिससे वह आय अर्जित करता है और उसी बिना पर यह अनुमान लगाते हैं की क्या वह पैसा, दिखाए गए घर खर्च के लिए काफी है?

(6) कभी-कभी करदाता वर्ष के शुरु में या वर्ष के किसी माह में घर खर्च इकठ्ठा दिखाते हैं। ऐसे केसेस में करदाता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। अत: हमारी राय में करदाता को अपना घर खर्च माह के तौर पर निकालने चाहिए।

माल एवं सेवाकर-निर्णय सारांश

Gujrat Narmada Valley Fertilizers & Chemical Ltd.
(2020) 04 CCHGST 1032 AAR Guj.
2021 (48) GSTL 172 (AAR-Gujrat)

CGST धारा 15, नियम 33 - अगर मकान मालिक ने लीज ऐग्रीमेंट के मुताबिक प्रोपर्टी लीज पर दी है और वह किराये के अलावा, लीज पर दी गई प्रोपर्टी के, बिजली के बिल का भुगतान किराएदार से लेता है, तो उसे CGST अधिनियम के अन्तर्गत सप्लाई नहीं माना जाएगा।

इस केस में याचिकाकर्ता ने किराएदार को, अपनी प्रोपर्टी लीज पर दी। जिसके लिए उसने लीज ऐग्रीमेंट भी बनवाया। ऐग्रीमेंट के मुताबिक याचिकाकर्ता अपने किराएदार से किराए के साथ-साथ बिजली के बिल का भुगतान भी लिया करता था। बिजली का बिल याचिकाकर्ता के नाम आता था, इसलिए वह बिजली के बिल की राशि एवं GST अलग से वसूलता था। बिजली के बिल के साथ GST वसूलने के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए विभाग के समक्ष ADVANCE RULING के लिए गया और उसने पूछा कि :

1. जब किराएदार से, लीज ऐग्रीमेंट के मुताबिक किराए के साथ बिजली का बिल वसूलता है, तो उसे GST भी वसूलना चाहिए?

2. जब मकान मालिक बिजली का बिल वसूल कर बिजली विभाग को जमा करवाता है, तो क्या उसे सिर्फ AGENT माना जाएगा? (क्योंकि बिजली का बिल मकान मालिक के नाम पर आता है और बिजली का उपयोग किराएदार द्वारा किया गया है)

ADVANCE RULLING प्राधिकरण ने इस केस में कहा कि बिजली के बिल पर GST वसूल करना सही है या नहीं, वह ADVANCE RULLING की स्कीम से बाहर है, तो वे इस पर कोई सलाह नहीं दे सकते। परंतु ADVANCE RULLING प्राधिकरण ने यह जरुर कहा कि यह प्रश्न एक CIVIL MATTER है और मकान मालिक एवं किराएदार के बीच हुए AGREEMENT पर निर्भर करता है। जहाँ तक AGREEMENT की बात है, उसमें उल्लेख एक शर्त के मुताबिक किरायेदार को बिजली का बिल और उससे संबंधित टैक्स चुकाने होंगे लिखा तो है परन्तु टैक्स के पैसे किसको देने है उसका उल्लेख नहीं है। इस पर AGREEMENT में लिखी भाषा पर जाए तो यह माना जा सकता है कि किरायेदार को बिजली विभाग को चुकानी चाहिए। क्योंकि AGREEMENT में लिखे हुए किराये की राशि और बिजली के बिल तथा टैक्स बिलकुल स्वतंत्र है, इसलिए बिजली खपत के लिए अगर राशि ली गई है तो उसे SUPPLY नहीं कहा जा सकता।

दूसरे प्रश्न के लिए ADVANCE RULLING ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिजली का अलग से कनेक्शन नहीं लिए इसलिए किराएदार के लिए अलग से मीटर ना होने की वजह से याचिकाकर्ता ने स्वयं से SUBMETER के कारण, याचिकाकर्ता और किरायेदार के बीच एक मौन समझौता (SILENT AGREEMENT) हो गया। जिसके चलते किरायेदार से बिजली उपभोग का बिल लेकर, याचिकाकर्ता लंबे समय से जमा करवा रहा था। अत: शुद्ध एजेंट का मामला माना जाएगा।

M/s Satyam Shivam Papers Pvt. Ltd. vs. Asst. CST & 4 Others
(2021) 05 CCHGST 0310 TEL-HC,
2021 (50) GSTL, 459

CGST अधिनियम की धारा 129-केवल E- Way बिल Expiry होने पर, यह नहीं माना जा सकता कि करदाता टैक्स चुकाने से बचना चाह रहा था और ऐसे में पेनल्टी लगाना भी गलत है।

करदाता, एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जो GST के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। करदाता, सभी तरह के पेपर की ट्रेडिंग करने का काम करता था। करदाता ने अंतर्राज्यीय (intra-state) सप्लाई की जिसके लिए उसने 4 जनवरी, 2021 को E-Way बिल भी जारी किया। करदाता के सामान को ट्रक में उसी दिन शाम को 4:30 बजे के आस-पास रवाना कर दिया गया रास्ते में ट्रक ड्राइवर ने पाया की राजनीतिक रैली के चलते ट्रैफिक जाम था ट्रोला ट्रैफिक जाम से निकलते हुए शाम के 8:30 बजे गये। ट्रक ड्राइवर जब तक समान डिलीवरी करने के लिए दुकान पहुँचा तो उसने पाया कि दुकान बंद हो चुकी थी। इस पर ट्रक ड्राइवर समान के साथ अपने घर चला गया। क्योंकि अगले दिन रविवार था तो उसने सोमवार को डिलीवरी करने का सोचा। सोमवार को जब डिलीवरी करने जा रहा था तभी अधिकारी ने रास्ते में उसे रोका और चेकिंग की। अधिकारी ने फिर समान जब्त करके GST अधिनियम कानून के अन्तर्गत GST MOV- 07 फार्म जारी कर दिया क्योंकि E-Way बिल की समय सीमा समाप्त (expiry) हो चुकी थी। अधिकारी ने करदाता पर पेनल्टी भी लगा दी।

जवाब में करदाता ने अधिकारी के समक्ष अर्जी दाखिल कि जो कि अधिकारी ने इस बुनियाद पर खारिज कर दी, की करदाता टैक्स चुकाने से बचना चाह रहा था। आगे, अपना समान छुड़वाने के लिए करदाता ने 69 हजार की राशि टैक्स और पेनल्टी के बदले जमा करा दी। बाद में कमीश्नर ने GST MOV- 09 फार्म जारी करके यह कहा कि करदाता ने अपनी गलती मानी है और अपनी टैक्स देयी भी मानी है। अत: करदाता को अधिकारी द्वारा लगाए टैक्स व पेनल्टी पर कोई अपत्ति नहीं है। कमिश्नर के इस आदेश से नाखुश हो कर करदाता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दखिल की। मामला उच्च न्यायालय में आने के बाद न्यायालय ने कहा कि विभाग ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। अधिकारी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह पता चले कि करदाता टैक्स चुकाने से बचना चाह रहा था। E-Way बिल की समय सीमा समाप्त (expiry) होने पर पेनल्टी लगाई जाना गलत था। अत: उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि करदाता के 65 हजार रुपये तुरंत लौटा दिये जाए और उस पर 6% के हिसाब से ब्याज भी दिया जाए। साथ ही न्यायालय ने अधिकारी को आदेश दिया कि वह करदाता को 10 हजार रुपये भी दें।

(टैक्स पत्रिका, दिसम्बर 2021)

Association of Persons (AOP) / Body of Individuals (BOI) का कर-निर्धारण

AOP आयकर अधिनियम के अन्तर्गत एक भिन्न करदाता माना जाता है। धारा 40 (b) के अनुसार किसी। AOP/BOI की "व्यापार तथा पेशे के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय उस संगठन या समूह के किसी समूह को भुगतान किया गया ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिश्रमिक आदि कटौती के रुप में स्वीकृत नहीं होगा। परन्तु यदि उस सदस्य के द्वारा संगठन या समूह को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान भी किया गया है तो देय ब्याज में से इस प्रकार के ब्याज की राशि घटाने के बाद बचे हुए शुद्ध ब्याज की राशी को ही कटौती के लिए अस्वीकृत किया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति Representative Capacity में सदस्य है और ब्याज का भुगतान उसके स्वयं के लिए किया गया है तो इस प्रकार का भुगतान कटौती के रुप में स्वीकृत होगा।

जैसा कि साझेदारी फर्म के कर निर्धारण सम्बन्धी अध्याय में बताया गया है यदि कोई फर्म धारा 184 में बताई गई शर्तों का अनुपालन नहीं करती है तो इस प्रकार की फर्म का कर निर्धारण AOP के रुप में होगा। परंतु कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से अर्थात् 1 अप्रैल 2004 से लागू संशोधन के किसी फर्म का कर निर्धारण AOP के रुप में होगा चाहे उसने धारा 184 की शर्तों का अनुपालन नहीं किया हो।

एक AOP/BOI का कर निर्धारण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है:-

1. जहाँ साझेदार या सदस्य का अंश अनिश्चित हो [धारा 167b (1)]

जब साझेदारों सदस्यों का व्यक्तिगत अंश अनिश्चत हो तो उस मामले में कर अधिकतम सीमांत दर (Maximum Marginal Rate) पर AOP/BOI की कुल आय पर कर लगेगा। जहाँ पर AOP की किसी सदस्य की आय पर अधिकतम सीमांत दर की बजाय उच्चतर दर पर कर लगा हो, तो उस दशा में AOP की कुल आय पर उसी उच्चतर दर से कर लगेगा। कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए अधिकतम सीमांत दर 30% सरचार्ज है।

इस प्रकार, यद्यपि अधिकतम सीमांत दर 30% है। और यदि कोई कम्पनी फर्म की साझेदार है या AOP की सदस्य है, तो ऐसी दशा में उस कम्पनी के लिए अधिकतम सीमांत दर 36.75% होती है। चूँकि यहाँ एक सदस्य या सझेदार की अधिकतम सीमांत दर 36.75 है, इसलिए उस फर्म या AOP की कुल आय पर 36.75% की दर से कर लगाया जाएगा न कि 31.5% की दर से।

चूँकि जहाँ फर्म अथवा AOP पर अधिकतम सीमांत दर से कर लगाया गया है इसलिए इस प्रकार की फर्म या के AOP साझेदार/सदस्य को प्राप्त आय के हिस्सों को उस सदस्य/साझेदार की कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

2. जहाँ साझेदारों/ सदस्यों का शेयर निश्चित है [धारा 167B (2)]

साझेदारों / सदस्यो का अंश निश्चित होने पर कर निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

(क) जहाँ किसी साझेदार/ सदस्य की आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक हो, यदि AOP/BOI के किसी सदस्य अथवा साझेदार की कुल आय, AOP/BOI से प्राप्त आय को छोडकर, अधिकतम छूट सीमा से अधिक है तो ऐसे AOP/BOI फर्म की कुल आय पर अधिकतम सीमांत की दर से कर लगाया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी एक या अधिक साझेदार/सदस्य की कुल आय पर अधिकतम सीमांत की दर से उच्च दर पर कर लगाया जाता है तो ऐसे AOP/BOI की आय के उतने भाग पर जो कि उस साझेदार/ सदस्य के हिस्से से संबंधित है, उस उच्चतर दर से कर लगाया जायेगा तथा शेष बची हुई आय पर अधिकतम सीमांत दर से कर लगाया जायेगा।

(ख) जहाँ किसी भी साझेदार/सदस्य की कुल आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक नहीं है तो ऐसी दशा में उस फर्म AOP/BOI की कुल आय पर किसी व्यक्ति के लिय लागू दरों से कर लगाया जायेगा।

सदस्यों/साझेदारों के अंशों के निर्धारित एवं ज्ञात होने की दशा में AOP/BOI की आय में सदस्य के शेयर की गणना (धारा 67A):-

(क) गत वर्ष के सम्बन्ध में किसी सदस्य को भुगतान किया गया ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, उस AOP या BOI की कुल आय में से घटाया जायेगा और शेष को सदस्यों के मध्य उनके अंशानुपात में बाँट दिया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का ब्याज, वेतन, आदि कुल आय में से, AOP/BOI को बिना घटाये, घटाया जायेगा।

(ख) यदि उपरोक्त (क) में से बाँटी गयी राशी लाभ है तो गत वर्ष से संबंधित भुगतान किये गये ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक को उस लाभ में जोड़ दिया जायेगा एवम् परिणाम स्वरुप आने वाली राशी को उस सदस्य का AOP/BOI की आय से भाग माना जायेगा।

(ग) यदि उपरोक्त (क) में से बाँटी गयी राशी हानि है तो गत वर्ष से संबंधित भुगतान किये गये ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक को उससे समायोजित कर दिया जायेगा एवम् परिणामस्वरुप आने वाली उस सदस्य का AOP/BOI की आय में हिस्सा होगा।

उपरोक्त प्रकार से गणना किये गये लाभ अथवा हानि में सदस्यों के हिस्सों को कर निर्धारण के प्रायोजनार्थ विभिन्न आय शीर्षको में उसी प्रकार बाँटा जायेगा जिस प्रकार कि उस AOP/BOI की आय का निर्धारण विभिन्न शीषकों के अर्न्तगत किया गया था।

यदि किसी सदस्य के AOP/BOI में विनियोग करने के उद्देश्य से ऋण पर कोई राशी ली है और उस ऋण पर कोई ब्याज चुकाया है तो उस सदस्य की गणना व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ शीर्षक के अर्न्तगत करते समय उस सदस्यों को AOP/BOI से प्राप्त हिस्से में से ब्याज की राशी की कटौती स्वीकृत होगी।

सदस्य AOP के लिए आय के अंश का प्रभाव

(1) यदि AOP/BOI ने अधिकतम सीमांत दर या उच्च दर से कर का भुगतान किया हो तो इस प्रकार की AOP/BOI से प्राप्त लाभ का हिस्सा उस सदस्य/साझेदार की कुल आय में नहीं जोडा जायेगा एवं कर मुक्त रहेगी।

(2) यदि फर्म AOP/BOI ने उसकी आय पर व्यक्तियों के लिए लागू दरों से कर का भुगतान किया है तो साझेदार अथवा साझेदारों को प्राप्त लाभ का हिस्सा उनकी कुल आय में जोडा जायेगा और बाद में औसत दर से आय कर की राहत स्वीकृत नहीं होगी।

(3) यदि किसी AOP/BOI की कुल लाभ अधिकतम छूट सीमा (वर्तमान में 50,000 रु.) से कम है तो लाभ का हिस्सा सदस्य या साझेदार की कुल आय में जोडा जायेगा एवं इस दशा में किसी प्रकार की राहत स्वीकृत नहीं होगी।

(साभार : टैक्स पत्रिका-सितम्बर-अक्टूबर 2021)

आयकर विभाग ने जारी किया नया AIS, जाने क्या है उसमें?

"आयकर विभाग ने अपनी वेबसाईट पर नया वार्षिक सूचना विवरण (ए. आई. एस.) जारी किया है जो करदाता को ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा के साथ सूचना का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (http://www.incometax.gov.in) पर "सेवा" टैब के तहत "वार्षिक सूचना विवरण (ए. आई. एस.)" लिंक पर क्लिक करके नए ए. आई. एस. का उपयोग किया जा सकता है। TRACES पोर्टल पर फॉर्म 26AS भी समानांतर रूप से तब तक जारी रहेगी जब तक कि नया ए. आई. एस मान्य और पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता।"

नया ए. आई. एस. (AIS) में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी प्रेषण जानकारी आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी शामिल है। रिपोर्ट की गई जानकारी का उद्देश्य, डुप्लिकेट जानकारी को हटाने का है। करदाता ए. आई. एस. जानकारी को पी. डी. एफ., जे. एस. ओ. एन., सी. एस. वी. प्रारुपों में डाउनलोड कर सकेंगे।

यदि करदाता को लगता है कि जानकारी गलत है या अन्य व्यक्ति/वर्ष से सम्बन्धित है, डुप्लीकेट आदि है, तो ऑनलाइन फीडबैक जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। बल्क में अनेक सूचनाएँ प्रस्तुत करके फीडबैक भी दिया जा सकता है। करदाताओं को ए. आई. एस. देखने और ऑफलाइन तरीके से फीडबैक अपलोड करने के लिए उपयोगिता भी प्रदान की गई है। यदि सूचना को संशोधित/अस्वीकार किया जाता है, तो पुष्टि के लिए सूचना स्रोत से सम्पर्क किया जा सकता है।

इसके साथ प्रत्येक करदाता के लिए एक सरलीकृत करदाता सूचना सारांश (टी. आई. एस.) भी तैयार किया गया है, जो करदाता के लिए समग्र मूल्य दर्शाता है, इससे करदाता को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी।

यदि करदाता ए. आई. एस. पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, तो टी. आई. एस. में प्राप्त जानकारी स्वचालित रूप से वास्तवित समय में अपडेट हो जायेगी। टी. आई. एस. में प्राप्त जानकारी का उपयोग करदाता, रिटर्न भरने से पहले करेंगे।

करदाताओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक सूचना विवरण (ए. आई. एस.) में दिखाई गई जानकारी को देखें और यदि जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है तो प्रतिक्रिया दें। रिटर्न दाखिल करते समय करदाता टी. आई. एस. में दिये मूल्य का उपयोग कर सकते हैं। यदि अपने रिटर्न पहले ही दाखिल कर दी है और ऐसी कोई जानकारी बाकी रह गई है जो रिटर्न में शामिल नहीं की गई है, तो सही जानकारी को दर्शाने के लिए रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है।

(साभार : टैक्स पत्रिका, सितम्बर-अक्टूबर 2021)

विभिन्न निवेश योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
(Brief about various Investment Scheme)

1. **सुकन्या समृद्धि योजना :**

जमाकर्ता : अवयस्क बालिका के माता या पिता परन्तु यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं या असक्षम हैं तो कानूनी पालक।

खातों की संख्या : एक बालिका एक खाता, अधिकतम दो बालिका तीसरी बालिका का खाता संभव है यदि वह दूसरी बालिका का जुड़वा है या तीनों बालिका जुड़वा है।

आयु सीमा : बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक।

जमा राशि : निम्नतम जमा राशि 1,000/- रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम जमा राशि 1 लाख 50 हजार प्रतिवर्ष। राशि 14 वर्षों के लिए जमा होगी।

परिपक्वता : खाता खोलने से 21 वर्ष तक या बालिका की शादी जो 18 वर्ष की आयु के बाद होगी, जो भी पहले हो।

आहरण : बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50% धनराशि निकाली जा सकती है।

हस्तांतरण : इस योजना के अंतर्गत खाता भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

कर-लाभ : जमा की गई राशि पर धारा 80C के अंतर्गत छूट।

अर्जित ब्याज एवं खाता बंद करने पर प्राप्त मूल राशि धारा 10(11A) के अंतर्गत कर-मुक्त है।

2. **15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड खाता:**

जमाकर्ता : कोई भी व्यक्ति (Individual)।

जमा राशि : निम्नतम जमा राशि 500/- रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम जमा राशि 1 लाख 50 हजार प्रतिवर्ष।

परिपक्वता : खाता खोलने से 15 वर्ष जो 5 वर्षों के वर्ग में बढ़ायी जा सकती है।

आहरण : 7वें वित्तवर्ष से आहरण की अनुमति एवं तीसरे वित्तवर्ष से ऋण सुविधा उपलब्ध।

हस्तांतरण : इस योजना के अंतर्गत खाता भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

कर-लाभ : जमा की गई राशि पर धारा 80C के अंतर्गत छूट।

अर्जित ब्याज एवं खाता बंद करने पर प्राप्त मूल राशि धारा 40 के अंतर्गत कर-मुक्त है।

नोट : न्यायालय डिक्री आदेश के अंतर्गत कुर्की नहीं की जा सकती है।

3. **डाकघर जमा खाता :**

जमाकर्ता : कोई भी व्यक्ति (Individual), अवयस्क का खाता भी खोला जा सकता है। यदि अवयस्क 10 वर्ष या अधिक आयु का है तो वह अपना खाता खोल कर स्वयं संचालित कर सकता है।

जमा राशि : निम्नतम जमा राशि 20/-रुपये। न्यूनतम शेष 50/-रुपये बिना चेक सुविधा के एवं 500/- रुपये चेक सुविधा होने पर।

हस्तांतरण : इस योजना के अंतर्गत खाता भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

कर-लाभ : अर्जित ब्याज धारा 80TTA के अंतर्गत 10,000/-रुपये तक कर-मुक्त हैं।

4. **5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता:**

जमाकर्ता : कोई भी व्यक्ति (Individual), अवयस्क का खाता भी खोला जा सकता हैं। यदि अवयस्क 10 वर्ष या अधिक आयु का है तो वह अपना खाता खोल कर स्वयं संचालित कर सकता है।

चैम्बर लाइब्रेरी एवं बुलेटीन के संयोजक श्री राम चन्द्र प्रसाद जी पंचतत्व में विलीन

स्व० रामचन्द्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के लाइब्रेरी एण्ड बुलेटीन सब कमीटी के संयोजक श्री राम चन्द्र प्रसाद (75) का निधन दिनांक 13 दिसम्बर 2021 को दिल्ली में हो गया। उनके निधन से चैम्बर मर्माहत है।

स्व० प्रसाद की मुरादपुर, अशोक राजपथ में क्रॉउन स्पेक्टेकल्स कम्पनी नाम से चश्में की दुकान है जो वर्ष 1993 से चैम्बर का सदस्य है। स्व० प्रसाद का सरल, मृदुभाषी एवं परोपकारी व्यक्तित्व था। वे चैम्बर के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े थे।

स्व० प्रसाद जी चैम्बर के बुलेटीन एवं लाइब्रेरी के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। चैम्बर में उनके द्वारा किये गये कार्य चैम्बर इतिहास में अक्षुण्ण रहेगा।

चैम्बर द्वारा प्रेषित शोक प्रस्ताव में कहा गया है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज श्री राम चन्द्र प्रसाद जी के निधन पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिरस्थायी शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर द्वारा प्रेषित शोक प्रस्ताव में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री यशपाल अग्रवाल जी के निधन पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री यशपाल अग्रवाल जी नहीं रहे

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री यशपाल अग्रवाल जी का निधन दिनांक 17 दिसम्बर 2021 को हो गया। उनके निधन से चैम्बर मर्माहत है।

स्व० यशपाल अग्रवाल जी एक्जी–विशन रोड, पटना में अवस्थित बाम्बे हार्डवेयर स्टोर्स से चैम्बर के सदस्य थे। बाम्बे हार्डवेयर स्टोर्स वर्ष 1978 से चैम्बर का सदस्य हैं। स्व० अग्रवाल जी बड़े ही सौम्य, स्पष्टवादी एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। समय–समय पर स्व० अग्रवाल ने चैम्बर के हित में जो कार्य किये हैं, चैम्बर सदैव उसे याद रखेगा ।

चैम्बर द्वारा प्रेषित शोक प्रस्ताव में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री यशपाल अग्रवाल जी के निधन पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

जमा राशि : निम्नतम जमा राशि 10/– रूपये प्रतिमाह। अधिकतम की कोई सीमा नहीं।

हस्तांतरण : इस योजना के अंतर्गत खाता भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

आहरण : 1 वर्ष के पश्चात् शेष के 50% तक एक आहरण किया जा सकता है।

5. **वरिष्ठ नागरिक जमा योजना :**

जमाकर्ता : कोई भी व्यक्ति (Individual), जिसकी आयु 60 वर्ष या अधिक हो। परन्तु यदि किसी व्यक्ति की आयु 55 वर्ष या अधिक है परन्तु 60 वर्ष से कम है और वह सुपर एनुएशन या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के अंतर्गत सेवा नियुक्त हुआ है तो वह भी अपना खाता खोल सकता है बशर्ते वह खाता निवृत्ति लाभ प्राप्ति से 1 माह के अंदर खोला जाये और जमा राशि निवृत्ति लाभ की राशि से अधिक न हो।

जमा राशि : निम्नतम जमाराशि 1000/– रु., अधिकतम जमाराशि शेष 15 लाख रुपये

परिपक्वता : परिपक्वता अवधि 5 वर्ष।

आहरण : ब्याज का आहरण उसी डाकघर में जमा खाते में अंतरण के द्वारा किया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद अपरिपक्व खाता बन्द करने पर ब्याज से 1.5% की कटौत्ती एवं 2 वर्ष के बाद अपरिपक्व खाता बंद करने पर 1% की कटौती होगी।

हस्तांतरण : इस योजना के अंतर्गत खाता भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

कर लाभ : जमा की गई राशि पर धारा 80C के अंतर्गत छूट।

अर्जित ब्याज 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक होने पर टीडीएस कटेगा।

6. **कर बचत सावधि जमा योजना :**

जमाकर्ता : कोई भी व्यक्ति (Individual) या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF)।

जमा राशि: निम्नतम जमा राशि 100/– रुपये, अधिकतम जमा राशि 1 लाख 50 हजार रुपये।

परिपक्वता : परिपक्वता अवधि 5 वर्ष।

आहरण : परिपक्वता पर ही आहरण संभव। इस जमा पर ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

कर लाभ : जमा की गई राशि पर धारा 80C के अंतर्गत छूट।

अर्जित ब्याज 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष से अधिक होने पर टीडीएस कटेगा।

(साभार : टैक्स पत्रिका, दिसम्बर 2021)

नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएँ

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296